


**विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निरीक्षण
(नाप-तौल उपकरण एवं पैकबंद वस्तुएं)**

चरण-1	<p>निरीक्षण कब करें ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शिकायत प्राप्त होने पर, 2. अनियमितता का संदेह होने पर, 3. समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण जिससे वर्ष में लगभग प्रत्येक संस्थान का निरीक्षण हो जाये।
चरण-2	<p>निरीक्षण कौन कर सकता है ?</p> <p>विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 में वर्णित नियंत्रक विधिक मापविज्ञान / विधिक मापविज्ञान अधिकारी (निरीक्षक / सहायक नियंत्रक / उप नियंत्रक / अन्य अधिकारी)</p>
चरण-3	<p>निरीक्षण प्रपत्र</p> <p>निरीक्षण टीप, जप्ती मेमो सह पंचनामा, आवश्यक होने पर अन्य पंचनामा।</p>
चरण-4	<p>निरीक्षण किये जाने वाले बिन्दु</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- संस्थान पर उपलब्ध समस्त नाप-तौल उपकरण सत्यापित हैं अथवा नहीं 2- संस्थान पर उपलब्ध समस्त नाप-तौल उपकरण निर्धारित मानक अनुसार हैं या नहीं 3- उपकरणों के संबंध में दिया गया सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्थान पर प्रदर्शित है या नहीं 4- संस्थान पर व्यापार अनुसार तौल उपकरणों का उपयोग एवं प्रदर्शन किया जा रहा है या नहीं 5- यदि संस्थान डिब्बा बंद वस्तुओं को विक्रय कर रहा है तो पैकेज पर नियमानुसार घोषणाएं पूर्ण हैं अथवा नहीं 6- यदि संस्थान पैकिंग करता है तो पैकिंग का पंजीयन है अथवा नहीं 7- नाप-तौल उपकरण सहज दृष्टिगोचर स्थल पर प्रदर्शित है अथवा नहीं 8- क्रय अथवा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की तौल की जांच। 9- डिब्बा बंद वस्तुओं में शुद्ध मात्रा की जांच। 10- अमानक प्रणाली में किसी भी प्रकार की घोषणाओं की जांच। 11- मैट्रिक प्रणाली के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के बांट के रूप में उपयोग की जांच। 12- नाप-तौल उपकरणों के संबंध में विविध अभिलेख।
चरण-5	<p>निरीक्षण पश्चात निरीक्षण रिपोर्ट स्केन कर विभाग को प्रेषित करना -</p> <p>निरीक्षण टीप एवं अनियमितता (यदि कोई पाई गई तो) पर कार्यवाही संबंधी अभिलेख स्केन कर विभाग को ऑनलाईन (Online) प्रेषित करें।</p>

**नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये किए जाने वाले निरीक्षण हेतु दस्तावेजों की
चेकलिस्ट**

सेवा क्रमांक	सेवा का नाम	निरीक्षण हेतु दस्तावेजों का विवरण (चेकलिस्ट)
34.13	नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति	<p>आवश्यक</p> <ol style="list-style-type: none"> पूर्ण रूप से भरा और हस्ताक्षरित स्व-घोषणा एवं सहमति पत्र भारत सरकार से जारी मॉडल अप्रुवल दस्तावेज / यदि मॉडल अप्रुवल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो आवेदन की प्रति पैन कार्ड आधार कार्ड <p>वांछनीय</p> <ol style="list-style-type: none"> शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र दुकानों और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र बिजली के बिल की प्रति विनिर्माण में लगे सभी श्रमिकों / कर्मचारियों के नाम और आधार की प्रति (स्वप्रमाणित) यदि कारखाना / इकाई के रूप में पंजीकृत है तो उद्योग विभाग से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जीएसटी / प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर / आईटी नंबर की प्रति प्रतिदिन उपकरण निर्माण किये जाने की क्षमता निर्मित उपकरणों के विभिन्न परीक्षणों के लिये सुविधायें निर्माण कार्य हेतु आवश्यक उपकरण एवं औजार
34.15	नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति	<p>आवश्यक</p> <ol style="list-style-type: none"> पूर्ण रूप से भरे और हस्ताक्षरित स्व-घोषणा और सहमति पत्र फॉर्म की कॉपी नाप-तौल उपकरण निर्माता / निर्माता द्वारा अधिकृत विक्रेता से आवेदनकर्ता का एग्रीमेन्ट की प्रति जिसमें देखना है (I) निर्माता / डीलर का लाइसेंस नंबर और जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम (II) निर्माता / डीलर लाइसेंस की वैधता वर्ष 20XX (III) निर्माण / विक्रय किये जाने वाले भार / माप / उपकरणों का विवरण जैसा कि लाइसेंस में दिया गया है

		<p>वांछनीय</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. दुकानों और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र 4. बिजली बिल की प्रति 5. स्वयं के उपयोग में आने वाले उपकरण
34.17	नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति	<p>आवश्यक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप नियंत्रक अथवा सहायक नियंत्रक नाप-तौल द्वारा दक्षता प्रमाणित करने बाबत पत्र 2. पूर्ण रूप से भरे और हस्ताक्षरित स्व-घोषणा और सहमति पत्र की कॉपी 3. वर्कशॉप में विभिन्न परिक्षणों की सुविधा, 4. स्वयं के उपयोग में आने वाले उपकरण, 5. बदले में दिए जाने वाले उपकरणों (लोन आर्टीकल्स) 6. मरम्मत कार्य में उपयोग होने वाले औजार <p>वांछनीय</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. दुकानों और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र 8. बिजली बिल की प्रति 9. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 10. उपर्युक्त कार्य में संलग्न व्यक्तियों के दस्तावेजों एवं संलग्न होने संबंधी दस्तावेजों की प्रति


 नियंत्रक
 नाप-तौल
 म.प्र. भोपाल

संस्थानों के नियमित निरीक्षण हेतु दस्तावेजों की चेकलिस्ट

सेवा का नाम	निरीक्षण हेतु दस्तावेजों का विवरण (चेकलिस्ट)
विधिक नापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निरीक्षण (नाप-तौल उपकरण एवं पैकबंद वस्तुएं)	<ol style="list-style-type: none"> 1. संस्थान पर उपलब्ध समस्त नाप-तौल उपकरण सत्यापित हैं अथवा नहीं 2. संस्थान पर उपलब्ध समस्त नाप-तौल उपकरण निर्धारित मानक अनुसार हैं या नहीं 3. उपकरणों के संबंध में दिया गया सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्थान पर प्रदर्शित है या नहीं 4. संस्थान पर व्यापार अनुसार तौल उपकरणों का उपयोग एवं प्रदर्शन किया जा रहा है या नहीं 5. यदि संस्थान डिब्बा बंद वस्तुओं को विक्रय कर रहा है तो पैकेज पर नियमानुसार घोषणाएं पूर्ण है अथवा नहीं 6. यदि संस्थान पैकिंग करता है तो पैकिंग का पंजीयन है अथवा नहीं 7. नाप-तौल उपकरण सहज दृष्टिगोचर स्थल पर प्रदर्शित है अथवा नहीं 8. क्रय अथवा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की तौल की जांच 9. डिब्बा बंद वस्तुओं में शुद्ध मात्रा की जांच 10. अमानक प्रणाली में किसी भी प्रकार की घोषणाओं की जांच 11. मेट्रिक प्रणाली के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के बांट के रूप में उपयोग की जांच 12. नाप-तौल उपकरणों के संबंध में विविध अभिलेख।

S. Jain

नियंत्रक
 नाप-तौल
 म.प्र. भोपाल